न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण स0 :– 58/2019
दायर दिनांक :– 30.07.2019

अनवान

श्री उदा पिता बीरमा रेगर नि. खजुरिया खेडा तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. श्री रामनारायण पिता मिश्री बलाई नि. जीरा तह. जहाजपुर
2. श्री धन्ना पिता गोकल मीणा नि. जीरा तह. जहाजपुर
3. श्री कैलाश पिता खाना बलाई नि. जीरा तह. जहाजपुर
4. श्री रामनिवास पिता खाना बलाई नि. जीरा तह. जहाजपुर
5. श्री रामेश्वर पिता खाना बलाई नि. जीरा तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 08.01.2020

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम खजुरिया खेडा प0 ह0 बिहाडा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 706/250 रकबा 5.18 बीघा भुमि खातेदारी से वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर वादी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर हर साल लगान जमा कराता आ रहा हैं। उक्त भुमि के प्रतिवादीगण पडोसी है। जो जबरन वादी की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है। जिन्होने माह मई 2010 मे वादीगण की अधिकार अधिपत्य की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते हुये भूमि पर दखल करना प्रारम्भ कर दिया तथा दिनांक 17.06.2011 को उक्त भुमि की पत्थरगढी की गई तो प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर शक्ति के बल पर कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण वादी के अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मे दखल की नियत रखते है। जिन्होने वादी को बेदखल करने की धमकी दे रखी हैं। वादी शातिपूर्ण ढंग से काश्त कर जीवन यापन कर रहे है। इस कारण वादी की भूमि में किये गये शक्ति के बल कब्जा को हटाया जाकर वादी को दिलाया जाना आवश्यक हैं। साथ ही भविष्य मे वादी की भूमि में किसी प्रकार की दखलदाजी नही करे न ही अन्य से करावें इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादी उक्त कृषि भूमि मे प्रतिवादीगण अनाधिक कब्जे की

भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की डिक्री एवं वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि के प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की मांग की।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस की नकल प्रदर्श 2, पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 3 पेश किये गये। एवं ब्यान गवाह मे स्वय वादी उदा पी. डब्ल्यु 1 के ब्यान करवाये गये। जिसे शामिल फ़ाईल किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर शक्ति के बल पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। मैने वकील वादी एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2069-72 प्रदर्श 1 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादी की भूमि है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 3 से होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम खजुरिया खेडा प0 ह0 बिहाडा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 706/250 रकबा 5.18 बीघा में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी को प्राप्त कब्जा काश्त मे किसी प्रकार से दखलदांजी न तो स्वयं करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बावत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम जहाजपुर ([illegible])
ब ईजलास — श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्री उदा पिता भीरमा रेगर नि. खजुरिया खेडा तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. श्री रामनारायण पिता मिश्री बलाई नि. जीरा तह. जहाजपुर
2. श्री धन्ना पिता गोकल मीणा नि. जीरा तह. जहाजपुर
3. श्री कैलाश पिता खाना बलाई नि. जीरा तह. जहाजपुर
4. श्री रामनिवास पिता खाना बलाई नि. जीरा तह. जहाजपुर
5. श्री रामेश्वर पिता खाना बलाई नि. जीरा तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत — 183 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 58 / 2019

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम खजुरिया खेडा प0 ह0 बिहाडा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 706 / 250 रकबा 5.18 बीघा में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलदांजी न तो स्वय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना—2 वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.01.2020

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 13:49:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: